

प्रारूप-घ (संलग्नक-3)

औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाणपत्र

यूआईडी संख्या: UPFS/2025/179052/LCK/LUCKNOW/8376/CFO

दिनांक: 24-11-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **GROUP HOUSING- PARK VIEW APARTMENT FOR LDA** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **SEC-J, GH02, BASANT KUNJ, RASHTRIYA PRERNA STHAL, UCKNOW GREEN CORRIDOR, LUCKNOW** तहसील - **LUCKNOW** प्लाट एरिया **13350.00 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **81503.04** (वर्गमीटर), ब्लॉकों की संख्या **4** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
TOWER A 3BHK AND S	19	0	57.75 mt.
TOWER B 3BHK AND S	19	0	57.75 mt.
TOWER C 3BHK AND S	23	0	69.75 mt.
TOWER D 3BHK	20	0	60.75 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **GROUP HOUSING- PARK VIEW APARTMENT FOR LDA** द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार किया गया है। इस भवन को औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाणपत्र, एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Residential** के अन्तर्गत इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में अधिभोग श्रेणी के अनुसार सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं के मानकों का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसा न करने पर निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **GROUP HOUSING- PARK VIEW APARTMENT FOR LDA** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : भवन का प्रोविजनल अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र इस शर्त के निर्गत किया जाता है कि प्रस्तावित भवन में मानक के अनुसार रैम्प व स्टेयरकेस के प्रावधान सहित NBC-2016 के अनुसार फायर एक्सटिंग्यूशर्स, होजरील, वेटराइजर, यार्ड हाईड्रेंट, आटोमैटिक स्पिंकलर सिस्टम, मोडफा सिस्टम, पी0ए0 सिस्टम मय टॉक-बैक, आटोमैटिक डिटेक्शन & एलार्म सिस्टम, भूमिगत टैंक 200000 लीटर, 02 इलेक्ट्रिक पम्प 2850 LPM, 01 डीजल पम्प 2850 LPM, 02 जॉकी पम्प 180 LPM, टेरस टैंक 10000 लीटर, रिफ्यूज एरिया(सी ब्लॉक में नियमानुसार सेपरेट रिफ्यूज एरिया), एक्जिट साइनेज, फायर सेफ्टी आफिसर(मय प्रशिक्षित स्टाफ) इत्यादि का प्रावधान करते हुये भवन के अधिभोग से पूर्व भवन अग्नि सुरक्षा पूर्णता(कम्प्लीशन) प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(ANKUSH MITTAL)

[C1A4F12653EE8617AC34BF4879D7820B631DA4C4]

26-11-2025

निर्गत किये जाने का दिनांक : 26-11-2025
स्थान : LUCKNOW